राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री [illegible], आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 10/2026

टीसीएमएस संख्या 2026/1

दायर दिनांक 08.01.2026

निर्णय दिनांक 12.03.2026

सुनवाणी

1. कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति रेगर नि० ग्राम रूपनगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :1. श्री सुखाराम अधि० प्रार्थी

:निर्णय:

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ , भू अभिलेख नि० रूपनगढ़ के खाता संख्या 414 के ख0न0 1970 रकबा 1.5775 है0 भूमि अवस्थित है। ख0न0 6 रूपनगढ़ से जूणदा जाने वाला रास्ता है जो कि जूणदा गांव के तन में आता है जिसमें मौके पर कंकरीट/गिट्टी/बजरी की सड़क बनी हुई है। प्रार्थी की भूमि के पड़ोस में स्थित अप्रार्थी की 523/1 की भूमि गै0मु0 छापर के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 1970 में आने जाने हेतु ख0न0 6 गै0मु0 रास्ता/ग्रेवल सड़क से प्रार्थी की भूमि तक अप्रार्थी की उक्त वर्णित गै0मु0 छापर भूमि जो कि जूणदा गांव के ख0न0 6 में से ही एक मात्र रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का अन्य कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिये प्रार्थी को ख0न0 1970 में आने-जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण अप्रार्थी की ग्राम जूणदा स्थित उक्त वर्णित ख0न0 523/1 की गै0मु0 छापर भूमि में से 30 फीट चौड़ा एवं प्रार्थी के खेत ख0न0 1970 के मेड़ तक पहुंचने हेतु लम्बा रास्ता जो कि संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क ए,बी,सी,डी. के अनुसार दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के ख0न0 1970 में आने-जाने हेतु कोई अन्य निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये रास्ता दिलवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि ख0न0 1970 तक आने-जाने हेतु अप्रार्थी की गै0मु0 छापर भूमि ख0न0 523/1 में से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ख0नं0 1970 ग्राम रूपनगढ़ के खसरा नम्बर है जो ग्राम जूणदा के पश्चिमी सीमा से लगती हुई है। ग्राम जूणदा के सिवायचक खाता संख्या 1 के ख0नं0 6 रकबा 0.7119 है0 गै0मु0 मगरा के नाम दर्ज है तथा ख0नं0 523/1 रकबा 2.2671 गै0मु0 छापर सिवायचक खाते में दर्ज है। ख0नं0 1970 में मौके की स्थिति अनुसार वैकल्पिक रास्ता ग्राम जूणदा के ख0नं0 523/1 में से होकर ही आवश्यक है जिसमें प्रार्थी रास्ता चाहता है। मौके अनुसार व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये 20 फीट चौड़ाई का रास्ता का रकबा 0.1140 हैक्ट0 बनता है, जिसकी ग्राम जूणदा की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 1,65,000/- रूपये प्रति हैक्ट0 है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत ख0नं0 1970 में आने जाने हेतु ग्राम जूणदा के ख0नं0 523/1 में से एकमात्र निकटतम व वैकल्पिक रास्ता है जो आगे जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0नं0 6 किस्म गै0मु0 सड़क मगरा को जोड़ता है। इसलिये प्रार्थी को अपने में आने-जाने हेतु ग्राम जूणदा के ख0नं0 523/1 में से 20 फीट का रास्ता प्रदान करवाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत ग्राम रूपनगढ़ के ख0नं0 1970 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि ग्राम जूणदा के ख0नं0 523/1 में से चाहा है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 523/1 में से दिये जाने पर रास्ते का रकबा 0.1140 हैक्ट. बनता है। जिसकी ग्राम जूणदा की डी0एल0सी0 दर अनुसार 18,810 रूपये बनती है। जिसकी दुगुनी राशि 37620/- अक्षरे सैंतीस हजार छः सौ बीस रूपये बनती है।

क0सं0	ख0नं0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	523/1	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़	0.1140	37620

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)